न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या 05/2022

दायर दिनांक 12.01.2022

निर्णय दिनांक 24.06.2025

बउनवान

1. मुंशीराम पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामकिशोर पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. रामानन्द पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. शुभराम उर्फ सुबेराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. कबूल पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. लाखीया उर्फ धमेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. भवानी उर्फ भानी पुत्र मोहरसिंह उर्फ किरोडी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. रोहित पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. मनीष पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. मुकुट पुत्र कबूल जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. रूपेन्द्र पुत्र लाखीया उर्फ धमेन्द्र जाति अहीर निवासी पदमादा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. मुनेश पुत्र भानी उर्फ भवानी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. सजन पुत्र सुभाष जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
10. बनवारी पुत्र घीसा जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. संदीप पुत्र राजपाल जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. राजाल पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

13. राजेश पुत्र राजेन्द्र जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री पृथ्वी सिंह यादव :— अधिवक्ता वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह कि हाल आराजी खसरा नं0 700 रकबा 0.1300 हैक्ट० वाके मौजा पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 की आराजी दावा हाजा मे विवादित आराजी है जिसे दावा में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
2. यह कि विवादित आराजी, वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने बुजुर्गान के समय से ही काबिज होकर काश्त करते रहे है तथा आज दिन तक वादीगण ही लगान अदा करता चला आ रहे है। ताईद मे जमाबन्दी हाल पेश है।
3. यह कि आराजी खसरा नं0 551 रकबा 0.15 हैक्ट० वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह० मुण्डावर में स्थित है। जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की आराजी रही है। अन्य प्रतिवादीगण इनके परिवार के सदस्य है। ताईद मे जमाबन्दी पेश है।
4. यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही गांव के है आज से करीब 8—10 साल पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा शेष सभी प्रतिवादीगण की उपस्थिती मे वादीगण से निवेदन किया गया कि हम आपस मे अपनी भूमि का भावी बटवारा कर लेते है। आप हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 551 रकबा 0.15 हैक्ट० पर मौके पर काबिज हो जावे व आपकी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 700 रकबा 0.1300 है0 पर हम काबिज हो जाते है जिस पर अपनी अपनी सोलिहत के अनुसार वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण का निवेदन स्वीकार कर लिया व दोनो ही आराजी का भावी बटवारा कर लिया तथा वादीगण, प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 551 पर काबिज हो गये तथा प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 700 पर काबिज हो गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजी में कुछ हिस्से मे रिहायशी मकान बना लिये तथा वादीगण व प्रतिवादीगण भावी बटवारे क अनुसार अपने हिस्से मे आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे है।
5. यह कि प्रतिवादीगण बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति है। करीब 4—5 साल पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 जो एक ही परिवार के सदस्य है आपस मे साजबाज होकर यह जानते हुये कि उनके द्वारा भूमि का वादीगण से वाहमी बटवारा कर वादीगण की खातेदारी पर प्रतिवादीगण काबिज है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी पर मौके पर वादीगण काबिज है के बावजूद करीब 4—5 साल पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सुभाष पुत्र रामवतार जाति अहीर निवासी पदमाई

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मण्डावर जिला अलवर राज0

खुर्द को 2/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेईमानी की नियत से बेचान कर दिया गया । उक्त खसरा नं0 551 मे प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा निहित था। जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क कर कहा गया कि आप हमारी खातेदारी की आराजी पर काबिज हो व आपने रिहायशी मकान बना लिये आपके द्वारा आपकी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 551 जिस पर हम वादीगण काबिज है का बेचान आपने गलत रूप से किया है। हम वादीगण की खातेदारी की आराजी मे आप लोगो ने प्रतिवादी संख्या 2 के मकान बनावाये हुए है हम वादीगण के पास तो अब भूमि ही नहीं रही व भावी बटवारे का क्या महत्व रहा आप इस बयनामा को खारीज करवाओ अन्यथा हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 700 का कब्जा हम वादीगण को सुपुर्द कर दो जिस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण से कहा कि हम इस बयनामा को खारिज करवा देगे। हमारा आपस का भावी बटवारा यही रहने देवे। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बयनामा खारिज नहीं करवाया और वादीगण से आजकल आजकल कर टालग टोल करते रहे। प्रतिवादीगण द्वारा बैयनामा काफी समय तक खारीज नहीं करवाने पर व खरीददार सुभाष द्वारा बार बार कब्जा छोडने की हम वादीगण को कहने पर चूकि खसरा नं0 551 का कब्जा वादीगण के पास था जिस पर वादीगण द्वारा तय प्रतिफल अदा कर सुभाष पुत्र रामवतार से उसका 2/5 हिस्सा जो सुभाष द्वारा प्रतिवादी संख 6 से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया था को खरीद कर लिया। ताईद मे बयनामा पेश है।

6. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा आपस मे साजबाज होकर वादीगण से छल करते हुये वादीगण की खातेदारी की आराजी को हडप करने हेतु यह जानते हुये कि आराजी खसरा नं0 700 व 551 का आपस मे मौके पर भावी तौर पर तबादला किया हुआ है के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नं0 551 मे छ एयर भूमि का बेचान किया गया है तथा भावी बटवारी की प्रतिवादीगण द्वारा बाला बाला रूप से अवहेलाना की गई है व बालाबाला रूप से ही वादीगण के हिस्से के आई आराजी का बेचान किया है तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नं0 551 में अपना हिस्सा सुभाष पुत्र रामवतार को बेचान करने के उपरान्त अतिरिक्त रूपये खर्च कर तय प्रतिफल सुभाष को अदा कर 2/5 हिस्सा भूमि खरीद कर बयनामा वादीगण संख्या 1 की पत्नी के नाम करवाया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार पूर्व में बयनामा खारिज करवाने हेतु आग्रह करने के बावजूद खसरा नं0 551 का बयनामा खारीज नही करवाने पर वादीगण द्वारा दिनाक 24.06.2021 रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई है। को उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई है।

7. यह कि दिनाक 25.12.2021 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर निवेदन किया गया कि आपने भावी बटवारे की शतों की अवहेलना की है तथा आपने 6 ऐयर भूमि का बेचान हमारे साथ छल करके किया है अब हम वादीगण के हिस्से मे तबादले के अनुसार मौके पर भूमि नहीं रही है। इसलिए आप हमारी खतोदारी की भूमि खसरा नं0 700 का कब्जा हमे सुपुर्द कर देवे जिस पर समस्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 आपस मे साजबाज होकर ने वादीगण व उसके परिवार के साथ हथियारो से लेस

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

होकर बुरी तरह मारपीट की व धमकी दी कि आप वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 700 रकबा 0.13 हैक्ट० का रकबा सुपुर्द नही करेगे व हम प्रतिवादीगण खसरा नं0 551 मे शेष बची आराजी को भी बेचान करगे यदि तुमने कब्जा लेने का प्रयास किया तो तुम लोगो को जान से खत्म कर देगे तथा हम आप वादीगण की खातेदारी की आराजी पर ओर पक्का निर्माण करके रहेगे। जिस वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ थाना मुण्डावर मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 600/2021 अन्तर्गत धारा 323, 341, 143, 379 भा0द0स0 मे दर्ज करवाई गई। जो अभी थाना मुण्डावर मे अनुसंधानरत है।

8. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 700 पर जबरन कब्जा कर रखा है। हम वादीगण द्वारा दिंनाक 02.01.2022 को पुन प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से कब्जा छोडने के लिए कहा तो प्रतिकीदगण ने सरेआम धमकी दी कि वे विवादित आराजी से कब्जा नहीं छोडेगे तथा अपनी खातेदारी की आराजी मे से और बेचान करके रहेगे तथा आप वादीगण की खातेदारी की आराजी मे जबरन रूप से कच्चा पक्का निर्माण करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 अपने इस कृत्य में सफल हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा मुकदमे बाजी को बढावा मिलेगा। अतः यह वाद बेदखली के साथ वाद स्थाई निशेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

9. ह कि प्रतिवादीगण द्वारा आपस मे साजबाह होकर वादीगण की खातेदारी की आराजी को हडप करने की फिराक में है। जिस की पूर्ती हेतु प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को नुकसान कारित करने के उदेश्य से बेईमानी पूर्वक आशय से खसरा नं० 551 रकबा 15 ऐयर में से बाला बाला 6 ऐयर भूमि का बेचान दीगर व्यक्ति सुभाष पुत्र रामावतार को किया है व अन्य बची शेष आराजी को बेचान करने की धमकी दे रहे है अब वादीगण के हिस्से मे भावी तबादले के अनुसार भूमि मौके पर नही है ना ही प्रतिवादीगण द्वारा बैयनामा खारीज करवाया व ना ही प्रतिकीदगण द्वारा भूमि वादीगण के हिस्से में पूरी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ खसरा नम्बर 700 व 551 बाबत किया गया था प्रतिवादीगण द्वारा उसमे से तय प्रतिफल प्राप्त कर दीगर व्यक्ति को बेचान करने की सूरत मे कोई औचित्य नहीं रहा है। अब मौके पर वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 700 रकबा 0.1300 हैक्ट की इतनी भूमि है कब्जा होने की सूरत में वादीगण द्वारा 6 ऐयर भूमि अपनी सुविधा हेतु सुभाष पुत्र रामावतार से खरीद तय प्रतिफल अदा कर खरीद की गई है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि जो भावी तबादले मे वादीगण के पास थी को भी बाला बाला बेचान कर रहे है व वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं० 700 का कब्जा भी वादीगण को सुपुर्द नही कर रहे है वादीगण द्वारा कई मर्तबा वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं० 700 का कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने हेतु कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण ने ना तो वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया वना ही तबादले के अनुसार वादीगण के हिस्से की भूमि पूरी की गई। ना ही खसरा नं0 551 में तबादले के अनुसार 6 ऐयर भूमि बेचान करने की सूरत मे उनके हिस्से में भूमि शेष है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा न0 700 पर जबरन कब्जा किया हुआ है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को निम्न अनुतोष प्रदान किया जावेः–
अ. एक किता डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 13 पारित कर हाल आराजी खसरा नं0 700 रकबा 0.1300 हैक्ट0 वाके मौजा पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज० से प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 13 का कब्जा छुडवाया जावे तथा वादीगण को उक्त आराजी पर कब्जा दिलवाया जावे।
ब. एक किता डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 13 पारित कर उसे पाबन्द किया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0 700 रकबा 0.1300 हैक्ट० वाके मौजा पदमाडा खुर्द तह० मुण्डावर जिला अलवर राज० से कब्जा छोड दे तथा भविष्य में दौबारा वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन स्वय या अपने एजेन्टो द्वारा कब्जा ना करावे व वादीगण को अपनी आराजी का शतिपूर्ण तरिके से उपयोग उपभोग करने देवे तथा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहे।
स. दिगर अनुतोश जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान किया जावे।
द. खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 382, प्रदर्श–3 एफआई आर नम्बर 06/21 छायाप्रति पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की गई है। वक्त क्रय से ही वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद है। परन्तु प्रतिवादी विवादित आराजी पर जब्रर कब्जा कर रखा है। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय मुताबिक भूमि पर किये गये कब्जेधारी का कोई स्वामित्व नही होता है। केवल राजस्व रिकोर्ड में हो रहे अमल दरामद का ही स्वामित्व होता है। इसलिए वादीगण का वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर से बेदखल वादीगण को कब्जा सुपुद किये जाने का श्रम करे।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–1 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्व रिकोर्ड में दर्ज काश्तकार के अलावा अन्य किसी काश्तकार का कोई

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मालिकाना हक नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं खसरा नम्बर 700 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 को बेदखल कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को कब्जा सुपुद करवाया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे, ना ही वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या 05/2022	दायर दिनांक 12.01.2022	पर्चा डिक्री दिनांक 24.06.2025

बउनवान

1. मुंशीराम पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामकिशोर पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. रामानन्द पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर खुर्द तह0. मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. शुभराम उर्फ सुबेराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. कबूल पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. लाखीया उर्फ धमेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. भवानी उर्फ भानी पुत्र मोहरसिंह उर्फ किरोडी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. रोहित पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. मनीष पुत्र विजय सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. मुकुट पुत्र कबूल जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. रूपेन्द्र पुत्र लाखीया उर्फ धमेन्द्र जाति अहीर निवासी पदमादा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. मुनेश पुत्र भानी उर्फ भवानी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. सजन पुत्र सुभाष जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
10. बनवारी पुत्र घीसा जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. संदीप पुत्र राजपाल जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. राजाल पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

13. राजेश पुत्र राजेन्द्र जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 24.06.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

खसरा नम्बर 700 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 को बेदखल कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को कब्जा सुपुद करवाया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे, ना ही वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाथी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेश कुमार बलाई) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner

पीठासीन अधिकारी दीगर राजकीय कार्य में व्यस्त है/
दौरे पर है/मीटिंग में है। गतानुसार कार्यवाही हेतु पत्रावली
दिनांक 24/6/24 को पेश हो।

24/6/24
पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित
प्रार्थी का द्वारा वाद का अवलोकन किया कि आवेदन
चुका है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली को आगे
कार्यवाही की ड्रॉप किया जाती है पत्रावली बाद
सुनाई के नतीजा से काम कि पत्रावली मय वाद
के साथ दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)